

**झारखण्ड सरकार,
जल संसाधन विभाग।
अधिसूचना**

अधिसूचना सं.:— 05/विविध-14-44/2014

राँची, दिनांक:—

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 (1) में वर्णित प्रावधान के आलोक में जल संसाधन विभाग, झारखण्ड, राँची (मुख्यालय) के कृत्यों से संबंधित सूचना आवेदनों/अपीलों के संदर्भ में सम्यक कार्रवाई हेतु श्री वैधनाथ झा, उप सचिव, जल संसाधन विभाग को एतद् द्वारा प्रथम अपीलीय प्राधिकारी अभिहीत किया जाता है।

- 2 इस संदर्भ में पूर्व के निर्गत आदेश इस हद तक संशोधित किया जाता है।
- 3 उक्त पर प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची का आदेश प्राप्त है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से

ह0/-

(रविशंकर)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक

राँची, दिनांक

प्रतिलिपि—प्रधान सचिव, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची के आप्त सचिव/प्रशासक सुवर्णरेखा परियोजना, आदित्यपुर जमशेदपुर/अभियंता प्रमुख-1, एवं 2, जल संसाधन विभाग राँची/संयुक्त सचिव (प्र.)/संयुक्त सचिव (अभि.)/सभी उप सचिव/सभी अवर सचिव/अपर निदेशक, भू-अर्जन एवं पुनर्वास, सुवर्णरेखा परियोजना आदित्यपुर जमशेदपुर/सभी मुख्य अभियंता, जल संसाधन विभाग/उप समाहर्ता, राजस्व प्रमण्डल राँची/सभी विशेष भू-अर्जन पदाधिकारी/सभी पुनर्वास पदाधिकारी/सभी प्रशाखा पदाधिकारी, जल संसाधन विभाग, झारखण्ड राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(रविशंकर)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक

राँची, दिनांक

प्रतिलिपि—श्री वैधनाथ झा, उप सचिव, जल संसाधन विभाग, राँची को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/-

(रविशंकर)

सरकार के उप सचिव

ज्ञापांक

1322

राँची, दिनांक 20-4-15

प्रतिलिपि—वेब इंफॉर्मेशन मैनेजर को विभागीय वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु को सूचनार्थ।

20-4-15

(रविशंकर)

सरकार के उप सचिव